रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/95 REGISTERED No. DL—33001/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 23, 1995 (आश्विन 1, 1917)
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 23, 1995 (ASVINA 1, 1917)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	821
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	869
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	15
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1225
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उप-विधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपलब्धियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	879
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	805
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन प्रभुवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	1801
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	133
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी बोलों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला असपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

CONTENTS

	PAGE
PART I— SECTION 1 —Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	821
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	869
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	15
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1225
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)— Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).	*
PART II—SECTION 3—SUB SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	879
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	805
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1801
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	133
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

(पी० यू० शाखा)

नई दिल्ली—110001, दिनांक 23 अगस्त, 1995

सं० 4/1—पी०यू०/95—श्री अयूब खां, लोक सभा सदस्य को श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र देने के फलस्वरूप रिक्त हुए स्थान पर 17 अगस्त, 1995 से सरकारी उपक्रमों संबंधी संमिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति का सदस्य निर्वाचित किया गया है ।

श्रीमती परमजीत कौर संधू,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त 1995

सं० 10/10 एम० एस० ए०/95—अध्यक्ष महोदय, संसद सदस्यों को सुविधाएं और परिलब्धियां प्रदान करने के सम्बन्ध में सुझाव देने सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री के० पी० उन्नीकृष्णन को श्री ए० आर० अंतूले के स्थान पर दिनांक 9 अगस्त, 1995 से सदस्य और सभापति के रूप में नियुक्त करते हैं ।

समिति और इसके सभापति को अन्य संसदीय समितियों के समान दर्जा और सुविधाएं मिलेंगी । इस समिति के मामले में अन्य संसदीय समितियों पर लागू होने वाले नियम ही यथापरिवर्तित रूप में लागू होंगे ।

गोविन्द आर० पटवर्धन
संयुक्त सचिव

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 1995

संकल्प

सं० फा० 4(3) 93—हिन्दी—संसदीय कार्य मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प दिनांक 25 अगस्त, 1994 के आंशिक आशोधन में, सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त होने के फलस्वरूप संसदीय कार्य मंत्रालय के उप सचिव (समिति) इस मंत्रालय को हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य नहीं रहे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, लोक/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और मंत्रिमण्डल कार्य विभाग का वेतन तथा लेखा कार्यालय, नई दिल्ली को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए ।

देवराज तिवारी,
संयुक्त सचिव

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली—110001, दिनांक 4 सितम्बर, 1995

सं० 27/5/95—सी० एल०—II—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के (1) श्री बी० एम० जैन, संयुक्त निर्देशक (निरीक्षण), बम्बई, (2) श्री वी० जयशंकर, सहायक निरीक्षण अधिकारी बम्बई, (3) श्री एम० चान्दना, भूत सहायक निरीक्षण, अधिकारी, बम्बई को उक्त धारा 209क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है ।

आर० एन० वासवानी,
अवर सचिव

सं० 27/5/95—सी० एल०—II—कम्पनी अधिनियम, 1956 (956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के (1) श्री जी० श्रीनिवासन, संयुक्त निदेशक (निरीक्षण) मद्रास, (2) श्री के० पेनेडीयन, उप निदेशक (निरीक्षण) मद्रास को उक्त धारा 209क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है ।

आर० एन० वासवानी,
अवर सचिव

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर, 1995

फा० सं० 4/3/95—सी० एस० (1): निम्नलिखित सेवा के ग्रेड—I की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1995 में ली जाने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सम्मिलित ग्रेड—I (अवर सचिव) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम से सम्बन्धित मंत्रालय की सहमति से सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ।

वर्ग

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का ग्रेड—I

1. चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी ।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा परिशिष्ट में निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी ।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निश्चित किए जायेंगे ।

3. स्थायी अधिकारी या अन्य ऐसे अधिकारी जिनका नाम नीचे कालम—1 में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं की चयन सूची में सम्मिलित कर लिया गया है और जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है, तथा जिसने 31 दिसम्बर, 1994 को कालम 2 में उल्लिखित सेवा से सम्बन्धित शर्तें पूरी कर ली है, परीक्षा में बैठने का पात्र होगा ।

कालम 1	कालम 2
रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड और/अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का विलयित ग्रेड "क" तथा ग्रेड "ख" ।	रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड या रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विलयित ग्रेड "क" और ग्रेड "ख" में अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 4 वर्ष से कम न हो ।

टिप्पणी :—(1) सैनिक ड्यूटी में रहने पर अनुपस्थिति की किसी भी अवधि को उपर्युक्त पदों में से किसी भी पद के लिए निर्धारित सेवाकाल में गिनने की अनुमति दी जाएगी ।

टिप्पणी :— (2) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विलयित ग्रेड "क" व ग्रेड "ख" के अधिकारियों को, जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से संवर्ग बाह्य पद पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हो, तो परीक्षा में प्रवेश की अनुमति होगी ।

किन्तु यह किसी ऐसे अधिकारी पर लागू नहीं होगा जो किसी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त हुआ हो अथवा स्थानांतरण पर किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया हो और जिसका उल्लिखित संबद्ध ग्रेडों में पुनर्ग्रहणाधिकार न हो ।

4. परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता अथवा अन्य किसी बात के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

5. किसी भी उम्मीदवार को तब तक परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके पास आयोग से प्राप्त प्रवेश प्रमाण—पत्र न हो ।

6. आयोग द्वारा निम्नलिखित कारणों से घोषित अथवा दोषी उम्मीदवार को जिसने—

1. किसी भी तरीके से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने, अथवा
2. किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होने अथवा
3. अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करने, अथवा
4. जाली प्रलेख या फेर बदल किए गए प्रलेख प्रस्तुत करने, अथवा
5. गलत या असत्य वक्तव्य देने या महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, या
6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के सम्बन्ध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित तरीकों से काम लेने, अथवा
7. परीक्षा के दौरान अनुचित तरीके अपनाने, अथवा
8. उत्तर पुस्तिका (पुस्तिकाओं) में अप्रासंगिक बातें लिखने, जिसमें अश्लील भाषा अथवा अश्लील बातें लिखना शामिल है, अथवा

9. परीक्षा भवन में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करने, अथवा

10. परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करने अथवा उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने, अथवा

11. उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी अनुदेशों में से किसी अनुदेश का उल्लंघन करने, या

12. पूर्वोक्त खंडों में निर्दिष्ट कोई कार्य करने का प्रयत्न किया हो या इन कार्यों को करने के लिए किसी को उकसाया हो, तो उसके खिलाफ आपराधिक अभियोग तो चलाया ही जा सकता है, उसके अतिरिक्त उसे :–

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा के लिए आयोग्य ठहराया जा सकता है जिसके लिए वह उम्मीदवार है, और अथवा

(ख) (1) आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा अथवा चयन से,

(2) केन्द्र सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नियुक्ति से, अथवा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वर्जित किया जा सकता है, और

(ग) समुचित नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :—

(1) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न किया गया हो ।

7. आयोग जिन उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयन के लिए उपयुक्त समझेगा उनके नामों की, जिसमें दोनों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार सम्मिलित होंगे, योग्यता क्रम में एक ही सूची बनाएगा और इस क्रम से जितने भी उम्मीदवार आयोग द्वारा योग्य पाए जायेंगे चयन सूची में अपेक्षित संख्या तक सम्मिलित करने के लिए उनकी अनुशंसा की जाएगी।

टिप्पणी: —उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह एक प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा । परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक चयन सूची में शामिल किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है । कोई भी उम्मीदवार उस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किये जाने के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा ।

8. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा परिणाम की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा । आयोग परीक्षा परिणाम के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा ।

9. परीक्षा में सफल हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में उसके आचरण की दृष्टि से चयन के लिए हर प्रकार से योग्य है ।

परन्तु आयोग द्वारा चयन के लिए अनुशंसित किए गए किसी उम्मीदवार को चयन के लिए अपात्र मानने के बारे में निर्णय आयोग के साथ परामर्श करके ही लिया जाएगा ।

10. यदि कोई उम्मीदवार जो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने के बाद या परीक्षा में बैठने के बाद अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है अथवा और किसी कारणवश सेवा छोड़ देता है अथवा उससे संबंध विच्छेद कर लेता है अथवा उसकी सेवा विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा उसे किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में स्थानान्तरण पर नियुक्त कर दिया जाता है और उसका उपर्युक्त नियम 3 के कालम–I में उल्लिखित ग्रेड और सेवाओं में अपना पुनर्ग्रहणाधिकार नहीं है तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा ।

तथापि, यह बात उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होती जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया हो ।

करतार सिंह,
अवर सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी ।

भाग 1 निम्नलिखित विषयों पर दो प्रश्न-पत्रों की लिखित परीक्षा होगी जिनमें से हर एक के 200 अंक रखे गए हैं ।

प्रश्न-पत्र–1 कार्यालय पद्धति एवं प्रक्रिया ।

प्रश्न-पत्र–2 भारतीय संविधान तथा शासन तंत्र का सामान्य ज्ञान, संसदीय पद्धति और प्रक्रिया ।

प्रत्येक प्रश्न-पत्र 2 1/2 घंटे का होगा ।

भाग—2 आयोग के विवेक से निर्णीत उम्मीदवारों के गोपनीय अभिलेखों का मूल्यांकन तथा साक्षात्कार —200 अंक ।

2. परीक्षा की पाठ्यचर्या अनुसूची के अनुसार होगी ।

3. उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प होगा । प्रश्न-पत्र अंग्रेजी और हिन्दी में तैयार किए जायेंगे ।

टिप्पणी– (1) सभी प्रश्नों के लिए एक सा विकल्प होगा तथा उसी प्रश्न-पत्र में विभिन्न प्रश्नों के लिए अलग-अलग विकल्प नहीं होगा ।

टिप्पणी– (2) उक्त प्रश्न-पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन पत्र के सम्बद्ध कालम में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे सभी प्रश्न-पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे । एक बार दिया गया विकल्प अंतिम मान लिया जाएगा तथा उक्त कालम में परिवर्तन करने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी– (3) प्रश्न-पत्र के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने वाले उम्मीदवार, यदि वे चाहें तो, हिन्दी पाठ के साथ तकनीकी शब्दों के विवरण, यदि कोई हो, के साथ उनके अंग्रेजी पर्याय की कोष्ठक में दे सकते हैं ।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर स्वयं ही लिखने होंगे । किसी भी परिस्थिति में उत्तर लिखने के लिए उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं होगी ।

5. आयोग अपने विवेक पर परीक्षा के किसी एक या सभी भागों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है । केवल उन्हीं उम्मीदवारों के संबंध में गोपनीय रिपोर्टों के मूल्यांकन तथा साक्षात्कार में बुलाए जाने पर विचार किया जाएगा जो लिखित परीक्षा में आयोग के विवेकानुसार नियत किए गए न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे ।

6. मात्र सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे ।

7. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात को श्रेय दिया जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गयी हो ।

8. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप (अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6, आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए ।

अनुसूची

परीक्षा की पाठ्यचर्या

जहां नियमों, आदेशों, अनुदेशों आदि का ज्ञान अपेक्षित है, उम्मीदवारों से यह आशा की जाएगी कि वे इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख तक जारी किए गए संशोधनों की जानकारी रखें ।

कार्यालय पद्धति एवं प्रक्रिया

इसका उद्देश्य रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की प्रक्रिया और पद्धति में गहन तथा विस्तृत परीक्षा लेना है । इस विषय में कुछ मार्गदर्शन निम्नलिखित पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है :—

(1) इस अधिसूचना के समय परिचालित रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा प्रकाशित कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका ।

(2) "संघ के सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग" से सम्बन्धित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका ।

भारत के संविधान और शासन तंत्र, संसद प्रक्रिया और पद्धति का सामान्य ज्ञान ।

टिप्पणी :— निम्नलिखित विषयों के ज्ञान की अपेक्षा की जाती है ।

(1) भारत के संविधान के मुख्य सिद्धांत ।

(2) लोक सभा तथा राज्य सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली ।

(3) भारत सरकार के शासन तंत्र का संगठन— मंत्रालयों, विभागों तथा संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के पदनाम तथा उनमें विषयों का आवंटन और उनके परस्पर सम्बन्ध ।

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

(इंजीनियरिंग इन्डस्ट्री डैस्क)

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त 1995

संकल्प

सं० 40(16) 92-इंजी० इन्ड०—भारत सरकार निम्नलिखित संरचना अनुसार तथा इस संकल्प के जारी

होने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए लोह ढलाई उद्योग सम्बन्धी विकास पैनल का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है :—

1. श्री टी० पी० बालाकृष्णन, अध्यक्ष
प्रबंध निदेशक,
मै० हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन;
रांची–834004 (बिहार) ।

2. डा० डी० आर० चावला; सदस्य
औद्योगिक सलाहकार,
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
उद्योग भवन नई दिल्ली ।

3. श्री पी० एन० शाली, सदस्य
संयुक्त सलाहकार,
योजना आयोग; योजना भवन,
नई दिल्ली ।

4. श्री एन० के० सिंह; सदस्य
उप निदेशक (धातुकर्म)
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय;
निर्माण भवन,
नई दिल्ली ।

5. श्री वाई० आर० तनेजा; सदस्य
उप महानिदेशक;
भारतीय मानक ब्यूरो,
मानक भवन बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली ।

6. कार्यकारी निदेशक; सदस्य
रेलवे बोर्ड;
रेल भवन; नई दिल्ली ।

7. श्री एफ० ए० नाटेरवाला; सदस्य
अध्यक्ष,
भारतीय उद्योग संघ,
23, 26 इन्स्टिट्यूशनल एरिया
लोदी रोड़, नई दिल्ली–3 ।

8. श्री विनोद कपूर, सदस्य
अध्यक्ष;
इन्स्टिट्यूट आफ इंडियन फाउन्ड्री मैन;
द्वारा गार्गी इंडस्ट्रीज,
2, मरकेंटाइल अपार्टमेन्टस
संत सिनेमा के सामने;
चेम्बूर, बम्बई–74.

9. श्री एम० सी० शाह, सदस्य
प्रबन्ध निदेशक
फैरस कास्टिंग पैनल चेयरमैन;
(इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्)
द्वारा नीफा एक्सपोटर्स प्रा० लि०,
गंगा-जमुना अपार्टमेन्ट,
28/1 शेक्सपीयर सरानी
कलकत्ता–1 ।

10. प्रो० के० किशोर, सदस्य
हैड फाउन्ड्री टैक्नोलाजी डिपार्टमेंट,
नेशनल इन्स्टिट्यूट आफ फाउन्ड्री एंड
फोर्जिंग टैक्नोलाजी, हतिया,
रांची–834003 ।

11. प्रो० एस० शेषन, सदस्य
अध्यक्ष,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग,
भारतीय विज्ञान संस्थान,
बंगलौर–12 ।

12. श्री एन० जी० श्रीनिवासन, सदस्य
उप महा प्रबंधक,
मै० भारत हैवी इलक्ट्रीकल्स लि०,
सैन्ट्रल फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट,
हरिद्वार–249403.

13. श्री एस० जी० शाह, सदस्य
कार्यकारी निदेशक,
भारतीय मोटरगाड़ी निर्माता संघ,
आर्मी एण्ड नेवी बिल्डिंग,
148, एम० जी० रोड़,
बम्बई–1.

14. श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह, सदस्य
डाकघर , स्टेशन रोड़,
शेखपुरा, जिला—शेखपुरा,
बिहार ।

15. श्री टी० कुमार, सदस्य
कार्यकारी निदेशक,
मै० स्टीलकास्ट लिमिटेड,
रूवापरि रोड़, भावनगर,
गुजरात–364005 ।

16. श्री वी० एस० रोहतगी, सदस्य
मुख्य प्रबंधक (निरीक्षण),
मैं० बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि०,
10-सी० हुंगरफोर्ड स्ट्रीट,
कलकत्ता–17.

17. डा० पी० एन० भगवती, सदस्य
अध्यक्ष,
मै० भगवती स्फेरोकास्ट लि०,
1, कृष्णा सोसाइटी, एली ब्रिज,
अहमदाबाद–6.

18. श्री एच० एस० सांगा, सदस्य
कार्यकारी निदेशक,
मै० एच० एम० टी० लिमिटेड,
(इंजीनियरिंग कम्पोनेन्टस बिजनेस ग्रुप)
29, बेलारी रोड़,
बंगलौर–32 ।

19. श्री के० एन० कुप्पुरलास, सदस्य
उप महा प्रबंधक,
मै० मुकुंद लिमिटेड,
लाल बहादुर शास्त्री मार्ग,
कुर्ला, बम्बई–70 ।

20. श्री आर० एन० पांडे, सदस्य
प्रबंधक,
मै० भारत पम्पस एण्ड कम्प्रैसर्स लि०,
नैनी, इलाहाबाद (उ० प्र०) ।

21. श्री एस० वी० एस० त्यागी, सदस्य
उप महा प्रबंधक (ढलाई),
मै० टाटा इंजीनियरिंग एण्ड
लोकोमोटिव कं० लि०,
जमशेदपुर–831010.

22. श्री पी० के० संकथिया, सदस्य-सचिव
विकास अधिकारी,
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग,
उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

विचारणीय विषय

(1) उद्योग की वर्तमान स्थिति व स्वरूप पर विचार करना और अन्य बातों के साथ-साथ मोटरगाड़ी, मशीनी औजार, उद्योग संबंधी मशीनरी जैसे संबद्ध क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इसके विकास के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

(2) प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन करना और इसे विशेषतया गुणवत्ता नियंत्रण, ऊर्जा/सामग्री संरक्षण प्राप्ति, प्रदूषण नियंत्रण, उत्पादकता सुधार आदि के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

(3) जिस सीमा तक मानकीकरण हुआ है उसकी जांच करना तथा भारतीय मानक ब्यूरो के परामर्श से और मानकीकरण करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करना जिसके लिए कुछ प्रयोक्ता क्षेत्रों का पता लगाया जायेगा ।

(4) फाउन्ड्री स्रोत के आधुनिकीकरण पर ध्यान देना ।

(5) निर्यात बढ़ाने के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

(6) अनुसंधान व विकास सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

(7) इस उद्योग के स्वास्थ्य एवं विकास से संबंधित कोई अन्य पहलू ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी सम्बन्धित को भेजी जाए । यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

वी० के० यादव,
उप सचिव

कृषि मंत्रालय

(पशु पालन और डेयरी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 1995

संकल्प

सं० 3-16/95–(डी.सी.) इस मंत्रालय के दिनांक 6 सितंबर, 1988 के संकल्प सं० 3–14/87–एल० डी० टी० तथा समय-समय पर जारी किए गए बाद में संशोधनों के अनुक्रम में भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले तीन वर्षों के लिए गोसंवर्धन परामर्शदात्री परिषद् का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है ।

गोसंवर्धन परामर्शदात्री परिषद् की संरचना

पुनर्गठन परिषद् की संरचना इस प्रकार होगी :—

(1) कृषि मंत्री, अध्यक्ष
नई दिल्ली ।

(2) राज्य मंत्री सदस्य
(कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग
और पशुपालन एवं डेयरी विभाग)
नई दिल्ली ।

(3) सचिव, सदस्य
पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
कृषि मंत्रालय
नई दिल्ली ।

(4) पशुपालन आयुक्त सदस्य
पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
कृषि मंत्रालय,
नई दिल्ली।

(5) उपमहानिदेशक (ए० एस०), सदस्य
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
नई दिल्ली।

(6) संयुक्त सचिव (पशुपालन), सदस्य
पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
कृषि मंत्रालय,
नई दिल्ली।

(7) संयुक्त सचिव (डेयरी विकास); सदस्य
पशुपालन एवं डेयरी विभाग;
कृषि मंत्रालय,
नई दिल्ली।

(8) संयुक्त सचिव, सदस्य
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली।

(9) अध्यक्ष, सदस्य
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड,
आनन्द,
गुजरात।

(10) निदेशक, सदस्य
पशुपालन,
राजस्थान सरकार।

(11) निदेशक, सदस्य
पशुपालन,
मध्य प्रदेश सरकार।

(12) निदेशक; सदस्य
पशुपालन,
मध्य प्रदेश सरकार।

(13) निदेशक, सदस्य
पशुपालन,
तमिलनाडु सरकार।

(14) दो संसद सदस्य, सदस्य
संसदीय कार्य मंत्रालय
तथा द्वारा नामित किए जाने वाले दोनों

(15) सदनों में से एक-एक

(16) श्री स्वामी ओमानन्द, गैर सरकारी सदस्य
गुरूकुल झज्जर,
डाकखाना झज्जर,
जिला रोहतक,
हरियाणा।

(17) श्री कंवर मानवेंद्र सिंह, —तदैव—
भूतपूर्व संसद सदस्य।

(18) चौधरी रामलुभाया गैर सरकारी सदस्य
मकान नं० 1320, सैक्टर 15—बी,
चण्डीगढ़।

(19) श्री यशपाल सिंह, —तदैव—
31, श्याम नगर, पिलोखड़ी रोड,
मेरठ—250002, उत्तर प्रदेश।

(20) श्री अनिल कुमार कपिल, —तदैव—
II—ए/ई-17, नेहरू नगर,
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

(21) श्री मगम रंगा रेड्डी, —तदैव
1—1, 12/सी जवाहर नगर,
मुणीराबाद
हैदराबाद—500020।

(22) श्री महेन्द्र शास्त्री, —तदैव—
40 मोती डूंगरी, अलवर,
राजस्थान।

(23) श्रीमती तारा गुप्ता, —तदैव—
भूतपूर्व विधान सभा सदस्य
बी० एन० महाविद्यालय के सामने,
अशोक राज पट्टी
पटना।

(24) श्री रमन लाल के० देसाई, —तदैव—
स्थान तथा डाकघर
अच्छारी,
तहसील उमरगांव,
जिला वलसाद, गुजरात,
पिन—396105।

(25) श्री के० पी० नायडू, —तदैव—
मकान नं० 43/3,
आर० टी० विजयनगर कालोनी,
हैदराबाद—500457।

(26) श्री बी० के० बिसवाल, —तदैव—
अध्यक्ष,
उत्कल गोमंगल समिति,
कटक (उड़ीसा)।

(27) डा० श्रीनाथ तनिया, —तदैव—
भूतपूर्व निदेशक,
पशुपालन विभाग,
मार्फत उत्कल गोमंगल समिति,
कटक (उड़ीसा)।

(28) श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा, —तदैव—
स्थान व पोस्ट नियाला केन्द्र पाड़ा,
उड़ीसा।

(29) सुश्री संध्या महापात्र, —तदैव—
एम० बी०—61, गढ़ गोपीनाथ प्रसाद,
रासूलगढ
भुवनेश्वर—10।

(30) श्री कोडरन नागेश्वर राव, —तदैव—
आंध्र बैंक कालोनी,
मलकपेट,
हैदराबाद—500036।

(31) संयुक्त आयुक्त (एल० पी०), सदस्य सचिव
पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
नई दिल्ली।

इस परामर्शदात्री परिषद के कार्य इस प्रकार होंगे :—

(1) गोपशु के संरक्षण, विकास प्रजनन, आहार तथा विपणन से संबंधित योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करना।

(2) उपर्युक्त किसी भी मामले पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों को परामर्श देना।

(3) गोपशु संपदा, विशेषकर सही दिशा में गौशालाओं के विकास से संबंधित मामलों पर परिषदों, गौशाला राज्य गोसंवर्धन परिषदों गौशाला परिसंघों पिंजरकपोल जैसे विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों के कार्यकलापों की समीक्षा तथा समन्वय करना।

(4) गोपशु के विकास के लिए विशेषकर जहां गैर सरकारी संस्थानों के सहयोग की आवश्यकता है, बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को हाथ में लेना।

(5) देश में किसी भी क्षेत्र में गोपशु संपदा के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार अन्य कार्य करना।

अध्यक्ष महोदय द्वारा तय किए गए समय तथा स्थान पर परिषद् की बैठक समय-समय पर आयोजित की जाएगी।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों के विभागों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय तथा अन्य संबंधित संगठनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

बाबू जैकब
संयुक्त सचिव

कृषि एवं सहकारिता विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त, 1995

सं० 26012(2)/95—मा० (सां०)—कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) के दिनांक 3 सितम्बर, 1993 के संकल्प सं० 26012(1)/90—मा० (ई०) में आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को इस अधिसूचना को प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए या जब तक वे संसद सदस्य रहें या आगामी आदेशों तक, इसमें से जो भी पहले हो, केन्द्रीय मात्स्यिकी बोर्ड का सदस्य नामित करते हैं :—

(1) श्री सुधीर सावंत
लोक सभा सदस्य।

(2) श्री ई० बालनन्दन
राज्य सभा सदस्य।

देवेन्द्र नाथ
अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई, 1995

विषय :—केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (के० भा० भा० सं०), में सलाहकार समिति का गठन।

सं० एफ० 8-6/88-डी०-4 (भा०)—केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर को उसके कार्यक्रमों और परियोजनाओं को तैयार करने में सहायता करने तथा सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति के गठन के संबंध में भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 4 अगस्त, 1993 की अधिसूचना सं० एफ० 8-6/88-डी०-IV (भा०) का आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा प्रो० योगेन्द्र व्यास, भाषा-विज्ञान विभाग, भाषा स्कूल, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद को, उपर्युक्त अधिसूचना के अन्तर्गत गठित समिति की शेष कार्य-अवधि के लिए एक सदस्य के रूप में, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ के डा० अतर सिंह, जिनका निधन हो गया है, के स्थान पर मनोनीत करती है। अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति निदेशक, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मानसगंगोत्री, मैसूर, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली, संसदीय कार्य मंत्रालय,

संसद भवन, नई दिल्ली, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय योजना आयोग, राष्ट्रपति, सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को जनसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। मुद्रित प्रति इस मंत्रालय को भेजी जाए।

जे० एल० सहगल,
उप सचिव (भाषाएं)

नई दिल्ली—110001, दिनांक 30 अगस्त, 1995

संकल्प

1. सं० एफ० 13-9/94पी० एन० IV—राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में जिसे 1992 में अद्यतन किया गया था, अगली शताब्दी के प्रारंभ तक 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को संतोषप्रद कोटि की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करते समय इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। मिशन संचालित करने संबंधी रूपात्मकताओं पर 1993 तथा 1994 में हुए राज्य शिक्षा सचिवों के क्षेत्रीय सम्मेलनों के दौरान राज्यों के साथ और विचार-विमर्श किया गया था।

2. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और उसकी कार्य योजना, 1992 प्रारंभिक शिक्षा को सभी को सुलभ कराने के लिए मुख्य कार्य नीति के रूप में विकेन्द्रीकृत योजना निर्धारित की गई है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम इस कार्यनीति को कार्यरूप देने के लिए विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर व्यापक विचार किया गया है और जिला विशिष्ट आयोजना तथा अलग-अलग लक्ष्य निर्धारण से प्रारंभिक शिक्षा को सभी को सुलभ कराने के लिए कार्यनीति संचालित करने की अपेक्षा की गई है। इस कार्यक्रम में आयोजना और प्रबन्ध के लिए सहभागी प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया गया है। इसमें लड़के तथा लड़कियों की संख्या पर जिनमें शिक्षा कम हो पर विशेष ध्यान दिया गया है और शिक्षक प्रशिक्षण पर विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध में निवेशों के जरिए स्कूल की कारगरता को बढ़ाने की अपेक्षा की गई है। कार्यक्रम में सभी स्तरों पर क्षमता का निर्माण करने पर बल दिया गया है चाहे वह क्षमता राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय स्तर की हो और ऐसी कार्य नीतियां विकसित करने की अपेक्षा की गई है जिनकी पुनः कार्यान्वित किया जा सके और जारी रखा जा सकता हो। इस कार्यक्रम को प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार की एक केन्द्रीयकृत प्रायोजित योजना के रूप में अनुमोदित किया गया है।

8. कार्यक्रम के लक्ष्य निम्नलिखित हैं :—

(i) लड़के व लड़कियों तथा सामाजिक समूहों में नामांकन, पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर और अधिगम उपलब्धि में अंतर को 5 प्रतिशत से भी कम करना।

(ii) प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वाले सभी छात्रों की दरों को 10 प्रतिशत से भी कम करना।

(iii) औसत उपलब्धि स्तर को निर्धारित आधारभूत स्तरों से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक करना और बुनियादी साक्षरता तथासंख्यागत क्षमताओं की उपलब्धि को सुनिश्चित करना और सभी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों द्वारा अन्य क्षमताओं में न्यूनतम 40 प्रतिशत उपलब्धि स्तर को सुनिश्चित करना।

(iv) राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से कक्षा 5 तक) अर्थात प्राथमिक शिक्षा जहां पर संभव हो अथवा इसके समकक्ष गैर औपचारिक शिक्षा सुलभ कराना।

यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा की आयोजना, प्रबन्धन तथा मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय संस्थाओं और संगठनों की क्षमता को भी सुदृढ़ बनाएगा।

4. यह कार्यक्रम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वाले जिलों में पंजीकृत राज्य स्तरीय स्वायत्त सोसाइटियों के माध्यम से किसी मिशन पद्धति के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।

5. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में एतद्द्वारा एक राष्ट्रीय प्रारंभिक मिशन का गठन करती है। राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा मिशन शिक्षा विभाग में मा० सं० वि० मंत्रालय की एक स्वायत्त इकाई होगा जिसमें अपने कार्यक्षेत्र में कार्यकारी तथा वित्तीय शक्तियां निहित होंगी।

6. राष्ट्रीय प्रारंभिक शिक्षा मिशन की एक महा-परिषद एक परियोजना बोर्ड इस प्रकार के अन्य निकाय होंगे जिन्हें समय-समय पर निर्धारित और गठित किया जाएगा। महा-परिषद की संरचना निम्न प्रकार होगी :—

1. केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री—अध्यक्ष (पदेन)।
2. शिक्षा एवं संस्कृति राज्य मंत्री/शिक्षा एवं संस्कृति उप मंत्री।
3. सदस्य (शिक्षा), योजना आयोग।

4—13 5 क्षेत्रों—उत्तर-पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिम क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र के 2 राज्यों से प्राथमिक शिक्षा से संबंधित शिक्षा मंत्री। नामजदगी चक्र-क्रम में की जाएगी जिसमें एक नामजदगी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के सहभागी राज्य की होगी।

4–16 संसदीय कार्य विभाग के परामर्श से 3 संसद सदस्य (लोक सभा से 2 और राज्य सभा से 1) नामजद किए जाएंगे ।

17–21 शिक्षाविदों और मीडिया विशेषज्ञों से 5 व्यक्ति ।

22–26 स्वैच्छिक एजेंसियों के 5 प्रतिनिधि जिनमें महिला विकास कार्यकलापों में संलग्न 2 महिलाएं होंगी ।

27. सचिव, शिक्षा विभाग ।

28. सचिव, महिला एवं बाल विकास ।

29. सचिव, कल्याण मंत्रालय ।

30. सचिव, व्यय विभाग ।

31. सचिव, सूचना एवं प्रसारण ।

32. प्रमुख, राष्ट्रीय संसाधन ग्रुप, प्रमुख महिला समाख्या ।

33–34 दो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अ०जा०/अ०ज०जा० तथा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है ।

35. संयुक्त सचिव (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम), सदस्य–सचिव ।

7. भारत सरकार द्वारा शासी परिषद् में पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को नामजद किया जाएगा । परिषद् का अध्यक्ष परिषद् की बैठकों में ऐसे व्यक्तियों को विशेष अतिथियों के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं जिनको आमंत्रित करना वे अनिवार्य समझेंगे । नामजद व्यक्ति 2 वर्षों तक अपने पद पर बने रहेंगे और पुनः नामजदगी के लिए पात्र होंगे । परिषद् की वार्षिक रूप से बैठक होगी ।

8. प्रारम्भिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने के लिए आवश्यक सभी उपायों की आयोजना करने तथा उनका कार्यान्वयन करने और उन उपायों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए महा–परिषद् नीति–संबंधी दिशा निर्देश देगी ।

9. महा–परिषद् के सहयोग के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम परियोजना बोर्ड होगा जो प्राधिकृत निकाय होगा और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

1. सचिव (शिक्षा) —अध्यक्ष

2. सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग

3–6 महिला एवं बाल विकास विभाग, कल्याण मंत्रालय, व्यय विभाग और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में केन्द्रीय सचिव या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की श्रेणी से नीचे की श्रेणी के नहीं होंगे ।

7. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (मानव संसाधन विकास)

8. निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ।

9. निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान ।

10–11. शिक्षाविदों, मीडिया–विशेषज्ञों, महिलाओं, अ०जा०/अ०ज०जा० और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए शिक्षाविद के संवर्गों में से महा–परिषद् के 2 सदस्य जो सरकारी अधिकारी नहीं हैं ।

12. संयुक्त सचिव (जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम),–सदस्य–सचिव ।

10. बोर्ड में नामजदगी भारत सरकार द्वारा पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की जाएगी । बोर्ड के अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों में ऐसे व्यक्तियों को विशेष आमंत्रितियों के रूप में आमंत्रित कर सकते है जिनको आमंत्रित करना वह आवश्यक समझेंगे । नामजद व्यक्ति का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा और वे पुनः नामजदगी के पात्र होंगे ।

11. बोर्ड की शक्तियां: संस्वीकृतियों और अनुमोदनों के कार्य को तेजी से निपटाने के दृष्टिकोण से बोर्ड जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में उन सभी वित्तीय एवं प्रशासकीय शक्तियों का प्रयोग करेगा जिनका प्रयोग शिक्षा विभाग कर सकता है । इसके अतिरिक्त यह उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिनका यह सामान्य तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से प्रयोग कर सकता है । व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को अलग से भेजना अपेक्षित नहीं होगा क्योंकि बोर्ड में उसका प्रतिनिधि शामिल होगा ।

12. बोर्ड के कार्य : बोर्ड के कार्य निम्न प्रकार होंगे :

1. डी० पी० ई० पी० ब्यूरो से प्राप्त राष्ट्रीय घटक योजना पर विचार करके उसे अनुमोदित करना,

2. राज्यों से प्राप्त वार्षिक कार्ययोजनाओं पर विचार करके उन्हें अनुमोदित करना,

3. डी० पी० ई० पी० के वार्षिक बजट को अनुमोदित करना;

4. कार्यक्रम संघटक के लिए आवंटित निधियों के पुनर्विनियोजन का अनुमोदन;

5. कार्यक्रम के ऐसे संघटकों तथा कार्यकलापों के मानदंडों का अनुमोदन जो कार्यान्वयन के दौरान उभर कर सामने आते हैं;

6. डी० पी० ई० पी० के प्रगति की समीक्षा व मानिटरिंग;

7. संगत विभागों के साथ सेवाओं के अभिसरण को बढ़ावा देना;

8. डी० पी०ई०पी० ब्यूरो को मार्गदर्शन प्रदान करना;

9. अनुमोदित वार्षिक योजनाओं के अनुसार निधियों के जारी किए जाने को अनुमोदित करना;

10. कार्यक्रम के कार्यान्वयन से उभर कर सामने आने वाले नीतिगत मुद्दों पर साधारण परिषद् को अपनी सिफारिशों से अवगत कराना;

13. परिषद् की बैठक तीन महीने में एक बार होगी और यदि परिषद् के अध्यक्ष चाहें तो इससे अधिक बार भी इसकी बैठक हो सकती है। परियोजना परिषद् की डी०पी० ई०पी० ब्यूरो द्वारा मदद व देखरेख की जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डा० आर० वी० वैद्यनाथअय्यर
संयुक्त सचिव

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 1995

संकल्प

सं० एफ० 4-4/89/सी० एच०-1—इस विभाग के दिनांक 18 जनवरी 1993 के समसंख्यक संकल्प का आंशिक आशोधन करते हुए केन्द्र सरकार ने इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी के नियमों एवं विनियमों के क्रमशः नियम 4, 23, 39 के अंतर्गत इलाहाबाद संग्रहालय सोसायटी कार्यकारिणी समिति एवं वित्त समिति के सदस्य के रूप में श्री डी०के० भट्टाचार्य के स्थान पर डा० विद्यानिवास मिश्र को उस तारीख तक के लिए नामित किया है जब तक श्री भट्टाचार्य जिनके स्थान पर डा० मिश्र को नियुक्त किया गया है अपने पद पर बने रहते।

आदेश

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों तथा सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्रों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-साधारण की सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

धर्म पाल
अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 1995

संकल्प

सं० 2-8/95-हिन्दी—इस विभाग के 4 अगस्त 1993 के यथासंशोधित संकल्प सं० 2-2/92-हिन्दी में आंशिक संशोधन करते हुए स्वर्गीय श्री शानी के स्थान पर निम्नलिखित साहित्यकार को शेष अवधि के लिए संस्कृति विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति का गैर-सरकारी सदस्य नामित किया जाता है :—

डा० दूधनाथ सिंह
3-सी, केसल्स रोड
इलाहाबाद (उ० प्र०)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, प्रधान मंत्री के कार्यालय मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अशोक वाजपेयी
संयुक्त सचिव

(पर्यटन विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 जून 1995

संकल्प

सं० ई-11017(6)/95-हिन्दी—भारत सरकार; पर्यटन विभाग के दिनांक 8 जून 1989 के समसंख्यक संकल्प के अतिक्रमण में, पर्यटन के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लिखने पर लेखकों को प्रोत्साहन

देने के लिए पर्यटन विभाग ने पुरस्कार योजना आरंभ की है। इस पुरस्कार योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

1. योजना का नाम :

इस योजना को पर्यटन संबंधी विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन प्रोत्साहन योजना" कहा जाएगा।

2. पुरस्कार का नाम :

हिन्दी में पर्यटन संबंधी मौलिक पुस्तक लेखन पर "राहुल सांस्कृत्यायम पर्यटन पुरस्कार"।

3. उद्देश्य :

इस योजना का उद्देश्य पर्यटन संबंधी विषयों पर हिन्दी में मूल पुस्तक लेखन को बढ़ावा देना है।

4. पुरस्कार का स्वरूप :

प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में पर्यटन संबंधी किसी भी विषय पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लिखने पर 15 000 – रू० का प्रथम नकद पुरस्कार, 10 000 – रू० का द्वितीय नकद पुरस्कार तथा 7 500 – रू० का तृतीय नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

5. पुरस्कार दाता :
पर्यटन विभाग
भारत सरकार
नई दिल्ली।

6. पुरस्कार के लिए पात्रता :

(1) सभी भारतीय लेखक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकते हैं।

(2) इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए विचारार्थ प्रस्तुत प्रकाशित पुस्तक अथवा पाण्डुलिपि लेखक की अपनी मौलिक प्रति होनी चाहिए और इसमें किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट के अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

(3) उन्हीं पुस्तकों पाण्डुलिपियों पर विचार किया जाएगा जो पुरस्कार मिलने के वर्ष से तीन वर्ष पूर्व लिखी गई हो। इस कलेण्डर वर्ष में 1 जनवरी 1992 से 31 दिसम्बर 1994 तक लिखी गई पुस्तकों पांडुलिपियों पर विचार किया जाएगा। इस विषय पर केवल उच्च स्तर की हिन्दी में प्रकाशित मौलिक पुस्तकों पांडुलिपियों में से पुरस्कार देने के लिए बिचार किया जाएगा।

(4) किसी लेखक को एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक पांडुलिपि एक से अधिक लेखकों द्वारा लिखी गई हो तो पुरस्कार की राशि को सही लेखकों में बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा। लेखक अपनी पुस्तक पांडुलिपि का मूल्यांकन कराने के लिए निर्धारित प्रपत्र भर कर उसके साथ अपनी पुस्तक पांडुलिपि की कम से कम 5 प्रतियां भिजवाएगा।

(5) वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत की गई पुस्तकों/पांडुलिपियों पर इस योजना के अधीन पुरस्कार देने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा (पैरा सं० 7) के अनुसार) बनाई गई मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाएगा। कोई भी लेखक पुरस्कार के लिए एक से अधिक पुस्तक/पांडुलिपि भेज सकता है परन्तु कोई भी लेखक एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक पुरस्कार पाने का हकदार नहीं होगा।

(6) मूल्यांकन समिति के विचार के लिए प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक पुस्तक/पांडुलिपि के साथ लेखकों द्वारा पूरी तरह से भरा हुआ और हस्ताक्षर किया हुआ प्रपत्र साथ में अवश्य लगाया जाए और इसे प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर, तक इस विभाग को प्रस्तुत किया जाए।

(7) इस विभाग द्वारा उपर्युक्त पुरस्कार दिए जाने के लिए अंग्रेजी और हिन्दी में प्रमुख समाचार-पत्रों में नोटिस देकर लेखकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। यह विभाग अपनी तरफ से किसी उपयुक्त समझी जाने वाली पुस्तक को भी विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है।

(8) यदि कोई भी पुस्तक/पांडुलिपि पुरस्कार (पुरस्कारों) के लिए उपयुक्त नहीं पाई जाती है तो पुरस्कार (पुरस्कारों) की इस विभाग द्वारा रोक लिया जाएगा।

(9) पुरस्कार विशेष रूप से आयोजित समारोह में या अन्य किसी भी उपयुक्त अवसर पर दिए जाएंगे।

(10) यदि कोई लेखक एक बार पुरस्कृत किया गया है तो वह अगले दो वर्षों तक पुरस्कार योजना में भाग लेने का पात्र नहीं होगा।

(11) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली संस्था या संगठन के साथ हुई संविदा के अनुसरण में या किसी स्कीम के अधीन लिखी गई एवं प्रकाशित पुस्तकें इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगी।

(12) ऐसी किसी पुस्तक और पांडुलिपि को विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसके पृष्ठ क्रमशः 200 और 250 से कम होंगे। साफ-सुथरी और

स्पष्ट अक्षरों में टंकित पांडुलिपियों को स्वीकार किया जाएगा ।

7. मूल्यांकन समिति

(1) पुरस्कार के निर्णय के लिए सर्वोत्तम पुस्तकों/पांडुलिपियों के चयन के लिए मूल्यांकन समिति होगी । इस मूल्यांकन समिति का गठन निम्नलिखत होगा :—

1. अध्यक्ष —महानिदेशक (पर्यटन)
2. सदस्य —संयुक्त सचिव (पर्यटन) ।
3. सदस्य —श्री धर्मपाल शर्मा, हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य ।
4. सदस्य —श्री आर० एस० गुप्ता, हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य ।
5. संयोजक —उप निदेशक (राजभाषा) ।

(2) उपर्युक्त मूल्यांकन समिति के पदेन सदस्य विशेष स्थितियों में मूल्यांकन समिति में अपने प्रतिनिधि के रूप में कोई उपयुक्त अधिकारी भेज सकेंगे ।

(3) उपर्युक्त मूल्यांकन समिति अपनी सहायता के लिए संबंधित विषयों के एक या अधिक विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकेगी ।

(4) यदि मूल्यांकन समिति का कोई सदस्य उपर्युक्त योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए प्रतियोगी है तो अन्य पुस्तकों के साथ-साथ उसकी पुस्तक का भी मूल्यांकन किया जाएगा किन्तु उस वर्ष उसे मूल्यांकन समिति की बैठकों में शामिल नहीं किया जाएगा ।

(5) इस समिति का कार्यकाल 3 वर्ष यथा 1995, 1996, 1997 के लिए होगा ।

(6) मूल्यांकन समिति के गैर-सरकारी सदस्य का कार्य-काल 3 वर्ष का होगा । सदस्य के पद छोड़ने, सेवा-निवृत्त हो जाने या मृत्यु हो जाने या किसी अन्य कारण से मूल्यांकन समिति में होने वाली खाली जगह हिन्दी सलाहकार समिति के किसी अन्य गैर-सरकारी सदस्य द्वारा भरी जाएगी ।

(7) मूल्यांकन समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार द्वारा जारी किए गए और उस समय लागू नियमों के अधीन यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता आदि पाने के हकदार होंगे ।

(8) मूल्यांकन समिति द्वारा लिए गए निर्णय सभी दृष्टियों से अंतिम और मान्य होंगे तथा उनके संबंध में किसी भी प्राधिकारी को अपील नहीं की जा सकेगी ।

(9) लेखक को पुरस्कार तभी दिया जाएगा जब मूल्यांकन समिति के सदस्य बहुमत से उसके/उनके नाम/नामों की सिफ़ारिश करेंगे ।

(10) महानिदेशक (पर्यटन) द्वारा मूल्यांकन समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार करने के पश्चात ही पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी ।

8. पुरस्कारों की घोषणा के बारे में पुरस्कृत लेखकों को लिखित रूप से सूचना भिजवाई जाएगी और इस आशय की सूचना समाचार-पत्र में प्रकाशित की जाएगी ।

9. यदि कोई पांडुलिपि किसी पुरस्कार योग्य समझी जाती है तो उस पर आधा पुरस्कार ही लेखक को दिया जाएगा और शेष आधा पुरस्कार पांडुलिपि को मुद्रित कराने पर तथा इस पुस्तक की 5 प्रतियां इस विभाग को प्रस्तुत करने पर स्वीकृत किया जाएगा ।

10. जिन पुस्तकों/पांडुलिपियों पर एक बार विचार हो चुकेगा उनको पुनः इस योजना में प्रविष्टि नहीं मिल सकेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अशोक माहवा
महानिदेशक (पर्यटन)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 1995

संकल्प

सं० 44/2/95 स्था० 1—केन्द्रीय जल आयोग, जो इस मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, को जल संसाधन विकास के क्षेत्र में देश में शीर्ष तकनीकी संगठन के रूप में केन्द्रीय जल मार्गों, सिंचाई विभाग और नौवहन आयोग के नाम से वर्ष 1945 में गठित किया गया था । तब से, आयोग में इसके नाम सहित अनेक परिवर्तन हुए हैं। केन्द्रीय जल आयोग के मुख्य उत्तरदायित्वों में से एक उत्तरदायित्व पूरे देश में सिंचाई, बाढ़ प्रबन्ध, नौवहन और जल विद्युत उत्पादन के प्रयोजन के लिए जल संसाधनों के मूल्यांकन संरक्षण, नियंत्रण और उपयोग की योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों के

परामर्श से शुरू व समन्वित करना है। यह अपेक्षित आधार पर किसी ऐसी योजनाओं का अन्वेषण, अभिकल्प, निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य भी करता है। राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्टों की तकनीकी आर्थिक दृष्टि से जांच केन्द्रीय जल आयोग में की जाती है। राज्यों को समय-समय पर तकनीकी मार्ग निर्देश और सुझाव भी दिए जाते हैं।

2. भारत सरकार ने पिछले कई दशकों में हुई उपलब्धियों और प्रगति में केन्द्रीय जल आयोग की भूमिका, लक्ष्यों, कार्यों और उत्तरदायित्वों की समीक्षा करने और भावी चुनौतियों व आवश्यकताओं को देखते हुए परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है जिससे सुनिश्चित रूप से केन्द्रीय जल आयोग के कार्यों की समीक्षा व पुर्नसंरचना की जा सके, और इसे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित रुप से सज्जित है।

3. समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :

1. जल संसाधन राज्य मंत्री	—अध्यक्ष
2. सचिव, जल संसाधन मंत्रालय।	—सदस्य
3. अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय।	—सदस्य
4. अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग।	—सदस्य
5. से 9. सचिव, जल संसाधन/सिंचाई विभाग, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, और मध्य प्रदेश सरकार।	—सदस्य
10. से 12. सचिव, जल संसाधन/सिंचाई विभाग, असम/मेघालय/ मणिपुर सरकार।	—सदस्य
13. आई० आई० टी० के प्रतिनिधि, नई दिल्ली।	—सदस्य
14. सलाहकार (सि ब क्षे मि) योजना आयोग।	सदस्य
15. वित्त सलाहकार, जल संसाधन मंत्रालय।	—सदस्य
16. श्री आर० बी० शाह, भूतपूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग।	—सदस्य
17. श्री रामास्वामी आर० अय्यर, भूतपूर्व सचिव, जल संसाधन मंत्रालय तथा संकाय सदस्य, नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली।	—सदस्य
18. मुख्य इंजीनियर (एच० आर० एम०), केन्द्रीय जल आयोग।	सदस्य सचिव
19. श्री जे० पी० बौदलैर, प्रधान सिंचाई इंजीनियर, विश्व बैंक, नई दिल्ली।	—विशेष आमंत्रित

समिति यदि अनावश्यक समझती है तो वह अपने विचार विमर्श के समय किसी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकती है।

4. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :

(क) केन्द्रीय जल आयोग के विद्यमान उद्देश्यों और कार्यों की समीक्षा करना।

(ख) भविष्य में, केन्द्र और राज्य दोनों क्षेत्रों में जल संसाधन विकास में केन्द्रीय जल आयोग की भूमिका की समीक्षा करना।

(ग) समग्र जल संसाधन विकास के संदर्भ में उन क्षेत्रों का पता लगाना जहां केन्द्रीय जल आयोग की भूमिका में आशोधन किया जा सके।

(घ) केन्द्रीय जल इंजीनियरी (समूह-क) सेवा के हाल की समग्र समीक्षा के संदर्भ में उक्त की समीक्षा करना और जहां कहीं आवश्यक हो, वहां क्रियान्वयन के लिए पुनः संरचना एवं दिशा-निर्देशों के प्रस्ताव की सिफ़ारिश करना।

(ङ) जल संसाधनों के पूर्ण विकास के लिए केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड के साथ गहन समन्वय सुनिश्चत करने के लिए उपायों की सिफ़ारिश करना।

(च) आवश्यक उपस्करों के साथ आन्तरिक कार्यों के लिए आधुनिक प्रबन्ध प्रणाली की सिफारिश करना।

(छ) इस विषय के प्रसंग में किसी अन्य मुद्दे पर विचार करना।

5. समिति अपने गठन के दो महीने की अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

6. केन्द्रीय जल आयोग सभी तर्कसंगत सहयोग और ऐसी अन्य सहायता जो आवश्यक हो, प्रदान करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

राजेन्द्र मिश्र,
अवर सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 23rd August 1995

No. 4/1-PU/95.—Shri Ayub Khan, member of Lok Sabha has been elected as member of the Committee on Public Undertakings with effect from 17 August. 1995 for the unexpired portion of the term of the Committee *vice* Shri Vilas Muttemwar resigned from the Committee.

SMT. P. K. SANDHU,
Director

New Delhi, the 14th August 1995

No. 10/10/MSA/95.—The Speaker is pleased to appoint Shri K. P. Unnikrishnan as a member and Chairman of the Joint Committee to suggest facilities and remmuneration for Members of Parliament *vice* Shri A. R. Antulay w.e.f. 9th August, 1995.

The Committee and its Chairman shall enjoy the same status and facilities as other Parliamentary Committees. The Rules of other Parliamentary Committees shall apply *mutatis mutandis* to the *Committee*.

GOVIND R. PATWARDHAN,
Jt. Secy.

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 23rd August 1995

RESOLUTION

No. F. 4(3)/93-Hindi.—In partial modication of Ministry of Parliamentary Affairs Resolution of even number dated 25-8-94 Deputy Secretary (Committee) Ministry of Parliamentary Affairs ceases to be the Member of Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs as he has retired from Government Service.

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be forwarded to all State Governments and Union Territories Administrations, All Ministries and Departments of the Government of India, President's Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Sectt.. Lok/Rajya Sabha Sectt., Planning Commission. Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India; and pay and Accounts Officer, Cabinet Affairs, New Delhi.

It is also ordered that this Resolution may be published in the Gazette of India for information of the public.

DEO RAJ TIWARI,
Jt. Secy.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi-110001, the 4th September 1995

No. 27/5/95-CL.II.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise 1. Shri B. M. Jain, Jt. Director (Inspection). Bombay, 2. Shri V. Jeyasekar, Assistant Inspecting Officer, Bombay, 3. Shri M. Chandana Muttu, Assistant Inspection Officer, Bombay, in the Department of Company Affairs for the purpose of the said section 209-A.

R. N. VASWANI,
Under Secy.

No. 27/5/95-CL.II.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri G. Srinivasan, Jt. Director (Inspection), Madras, and Shri K. Pandian. Deputy Director (Inspection), Madras, in the Department of Company Affairs for the purpose of the said section 209-A.

R. N. VASWANI,
Under Secy.

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING RULES

New Delhi, the 23rd September 1995

No. F. 4/3/95-CS. I.—The rules for a Grade-I (Under Secretary) Limited Departmental Competitive Examination for Scheduled Caste/Scheduled Tribe Candidates to be held by the Union Public Service Commission 1995 for editions in the Select List for Grade-I of the Service mentioned below are, with the concurrence, of the Ministry concerned published for general information.

CATEGORY

Grade-I of the Railway Board Secretariat Service.

1. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List will be specified in the Notice issued by the Commission.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. Permanent Officers or any Officer whose name has been included in the Select List of the grades and services mentioned in Column I below who belong to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and who on 31st December, 1994 satisfy the conditions regarding length of service mentioned in Column 2 shall be eligible to appear at the examination.

Column 1	Column 2
(1)	(2)
Section Officers' Grade of Railway Board Secretariat Service and/or merged Grade 'A' and Grade 'B' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.	Not less than 4 years' approved and continuous service in the Section Officers' Grade of the Railway Board Secretariat Service or in merged Grade 'A' and Grade 'B' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service or in both as the case may be.

NOTE (1) : Any period of absence on Military duties may be allowed to be counted towards the prescribed length of service in any of the above *posts*.

NOTE (2) : Section Officers of the Railway Board Secretariat Service and merged Grade A and Grade B of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service. who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted at the examination if otherwise eligible.

Provided that it shall not apply to an Officer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and does not have a lien in the respective Grades mentioned above.

4. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

5. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

6. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) Obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) Impersonatingn; or

(ii) Impersonating; or

(iv) Submitting fabricated document or documents which have been tampered with; or

(v) Making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or

(vi) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or

(vii) Using unfair means during the examination; or

(viii) Writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter in the script(s); or

(ix) Misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) Harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of the their examination; or

(xi) Violating any of the instructions issued to candidates alongwith their Admission Certificate permitting them to take the examination; or

(xii) Attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

May, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; and/or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules. Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after :—

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and

(ii) taking the representation if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

7. The names of the candidates who are considered by the Commission to be suitable for selection on the results of the examination shall be arranged in the order of merit in a single list for candidates belonging to both the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and in that order as many candidates as are found by the Commission to be qualified, shall be recommended for inclusion in the Select List, upto the required number.

NOTE :—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in each Select List on the result of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

8. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

9. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is eligible and suitable in all respects for selection.

Provided that the decision as to ineligibility for selection in the case of any candidate recommended for Selection by the Commission shall be taken in consultation with the Commission.

10. Candidates who after applying for admission to the examination or after appearing at it resigns his appointment or otherwise quits the service or severs his connection with it or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien in the grades and services mentioned in Column I of the Rule 3 above will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a person who has been appointment on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

KARTAR SINGH
Under Secy.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part-I :—Written examination consisting of two papers in the following subjects each carrying 200 marks :-

Paper-I :—Office Procedure and Practice.

Paper-II :—General Knowledge of the Constitution of India and Machinery of Government, Practice and Procedure in Parliament.

The papers will be of 2½ hours duration each.

Part-II :—Evaluation of CRs and Interview of such of the candidates as may be decided by the Commission in their discretion--200 marks.

2. Syllabus of the examination will be as shown in the SCHEDULE.

3. Candidates are allowed the option to answer the papers either in English or in Hindi (Devnagari). Question Papers will be set in English and in Hindi.

NOTE (1) :—The option will be same for all the questions and not for different questions in the same paper.

NOTE (2) :—Candidates desirous of exercising the option to answer the papers in Hindi (Devnagari), should indicate their intention to do so in the relevant Column of the Application Form. Otherwise it would be assumed that they would answer all papers in English. The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the the said Column shall be entertained.

NOTE (3) :—Candidates exercising the option to answer the papers in Hindi (Devnagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances they will be allowed the help of a scribe to write the answer for them.

5. The Commission have the discretion to fix qualifying marks in any or all the parts of the examination. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion will be considered for evaluation of CRs and called for Interview.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of examination.

9. Candidates should use only International Form of Indian Numerals (E.G. 1,2,3,4,5, etc.) while answering question papers.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

Where knowledge of the Rules, Orders, Instructions etc. is required candidates will be expected to be conversant with amendments issued upto the date of notification of this examination.

OFFICE PROCEDURE & PRACTICE :

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Ministry of Railway (Railway Board). Some guidance on the subject can b obtained from :—

(i) Manual of Office Procedure current at the time o the Notification issued by the Ministry of Railway (Railway Board).

(ii) "Hand Book of Orders regarding use of Hindi fo Official purposes of the Union" issued by the Ministry of Home Affairs.

GENERAL KNOWLEDGE OF THE CONSTITUTION OF INDIA AND MACHINERY OF GOVERNMENT PRACTICE AND PROCEDURE IN PARLIAMENT.

NOTE :—Knowledge of the following will be expected :

(i) the main principales of the Constitution of India,

(ii) Rules of Procedure and conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha, and

(iii) the organisation of the machinery of Government of India—designation and allocation of subjects between Ministries, Departments and Attached and Subordinate Offices and their relation inter-se.

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION

(ENGINEERING INDUSTRY DESK)

New Delhi, the 14th August 1995

RESOLUTION

No. 40(16)/92-Engg. Ind.—Government of India have decided to reconstitute the Development Panal for Ferrous Casting Industry with the following composition and for the period of two years from the date of issue of this Resolution :—

Chairman

1. Shri T. P. Balakrishnan,
Managing Director,
M/s Heavy Engineering Corporation,
Ranchi-834004 (Bihar).

Members

2. Dr. D. R. Chawla,
Industrial Adviser,
Department of Industrial Policy and Promotion,
Udyog Bhavan,
New Delhi.

3. Shri P. N. Shali,
Joint Adviser,
Planning Commission,
Yojna Bhavan,
New Delhi.

4. Shri N. K. Singh,
Deputy Director (Metallurgy)
Office of the DC (SSI)
Nirman Bhavan,
New Delhi.

5. Shri Y. R. Taneja,
Dy. Director General,
Bureau of Indian Standards,
Manak Bhavan,
Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi.

6. Executive Director,
Railway Board,
Rail Bhavan,
New Delhi.

7. Shri F. A. Nateriwalla,
Chairman,
Confederation of Indian Industry,
23, 26 Institutional Area,
Lodi Road, New Delhi-110003.

8. Shri Vinod Kapur,
President,
Institute of Indian Foundrymen,
C/o Gargi Industries,
2, Mercantile Apartments,
Opp. Basant Cinema Chambur,
Bombay-400 074.

9. Shri M. C. Shah,
Managing Director,
Ferrous Castings Panel Chairman,
(Engineering Exports Promotion Council),
C/o Nipha Exports Pvt. Ltd.,
Ganga Jamna Apartment,
28/1, Shakespare Sarani,
Calcutta-700 001.

10. Prof. K. Kishore.
Head Foundry Technology Deptt.,
National Institute of Foundry & Forging Technology, Hatia,
Ranchi-834 003.

11. Prof. S. Seshan,
Chairman,
Deptt. of Mechanical Engineering,
Indian Institute of Science,
Bangalore-560 012.

12. Shri N. G. Srinivasan,
Dy. General Manager,
M/s Bharat Heavy Electrical Ltd.
Central Foundry Forge Plant,
Hardwar-249403.

13. Shri S. G. Shah,
Executive Director,
Association of Indian
Automobile Manufacturers,
Army & Navy Building,
148, M. G. Road,
Bombay-400 001.

14. Shri Rajeshwar Prasad Singh
At & P.O. Station Road,
Sheikhpura, Distt. Sheikhpura,
Bihar.

15. Shri T. Kumar,
Executive Director,
M/s Steelcast Limited,
Ruvapari Road, Bhavnagar,
Gujarat-364 005.

16. Shri V. S. Rohatgi,
Chief Manager (Inspection),
M/s Burn Standard Co. Ltd.,
10-C, Hungerford Street,
Calcutta-700 017.

17. Dr. P. N. Bhagwati,
Chairman,
M/s Bhagwati Spherocast Ltd.
1, Krishna Society, Ellie Bridge,
Ahmedabad-380006.

18. Shri H. S. Sanga,
Executive Director,
M/s H.M.T. Limited,
(Engineering Components Business Group)
29, Bellary Road,
Bangalore-560 032.

19. Shri K. N. Kuppurlass,
Dy. General Manager,
M/s Mukund Limited,
Lal Bahadur Shastri Marg, Kurla,
Bombay-400 070.

20. Shri R. N. Pandey,
Manager,
M/s Bharat Pumps & Compressors Ltd.
Naini,
Allahabad-(U.P.).

21. Shri S. V. S. Tyagi,
Dy. General Manager (Foundry),
M/s Tata Engineering & Locomotive Co. Ltd.,
Jamshedpur-831010.

Member-Secretary

22. Shri P. K. Sunkaria,
Development Officer,
Deptt. of Industrial Policy & Promotion,
Udyog Bhavan,
New Delhi.

TERMS OF REFERENCE :

(i) To consider the present status and perspective of the industry and to recommend measures for its growth keeping in view the development programme of the related sectors such as Auto-mobiles, Machine Tools, Industry Machinery, amongst others.

(ii) To evaluate the present level of technology and to recommend measures to bring the same at par with the international levels specially in the areas of quality control, energy/material conservation yield, pollution control improvement of productivity etc.

(iii) To examine the extent to which standardisation has been achieved and evolve specific programmes for further standardisation in consultation with the BIS for which a few major users sector would be identified.

(iv) To focus on modernisation of the foundry industry.

(v) To recommend measures for increasing exports.

(vi) To provide research and development.

(vii) Any other aspect related to the health and growth of the industry.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all connerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. K. YADAV
Dy. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

New Delhi, the 28th August 1995

RESOLUTION

No. 3-16/95(CD).—In continuation of this Ministry's Resolution No. 3-14/87-LDT dated 6th September, 1988 and subsequent amendments issued from time to time the Government of India have decided to reconstitute the Gosamvardhana Advisory Council for a further period of three years with immediate effect.

Composition of the Gosamvardhana Advisory Council

Composition of the reconstituted Council will be as follows :

Chairman

1. Minister of Agriculture,
New Delhi.

Vice-Chairman

2. Minister of State
(DARE, AH & Dairying),
New Delhi.

Members

3. Secretary, Deptt. of Animal
Husbandry & Dairying,
Ministry of Agriculture,
New Delhi.

4. Animal Husbandry Commissioner,
Deptt. of Animal Husbandry & Dairying,
Ministry of Agriculture,
New Delhi.

5. Deputy Director-General (AS),
ICAR, New Delhi.

6. Joint Secretary (Animal Husbandry),
Deptt. of Animal Husbandry & Dairying,
Ministry of Agriculture,
New Delhi.

7. Joint Secretary (Dairy Development),
Deptt. of Animal Husbandry & Dairying,
Ministry of Agriculture,
New Delhi.

8. Joint Secretary,
Ministry of Rural Development,
New Delhi.

9. Chairman,
National Dairy Development Board,
Anand, Gujarat.

10. Director of Animal Husbandry,
Government of Rajasthan.

11. Director of Animal Husbandry,
Government of Madhya Pradesh.

12. Director of Animal Husbandry,
Government of Karnataka.

13. Director of Animal Husbandry,
Government of Tamil Nadu.

14. & 15. Two Members of Parliament one each from the two Houses to be nominated by Ministry of Parliamentary Affairs.

Non-Official Member's

16. Shri Svami Omanand,
Gurukul Jhajjar,
P. O. Jhajjar,
Distt. Rohtak, Haryana.

17. Shri Kawar Manvendra Singh,
Ex-Member of Parliament.

18. Ch. Ram Lubhaya,
House No. 320, Sector No. 15 B,
Chandigarh.

19. Shri Yash Pal Singh,
31, Shyam Nagar, Pillokhari Road,
Meerut-250002, U. P.

20. Shri Anil Kumar Kapil,
II A/E-17, Nehru Nagar,
Ghaziabad, U. P.

21. Shri Magam Rang Reddy,
1-1-12/C, Jawaharnagar,
Musheerabad, Hyderabad-500020.

22. Shri Mahendra Shstri,
40, Moti Doongri,
Alwar, Rajasthan.

23. Smt. Tara Gupta, MLA,
Opp. B. N. College,
Ashok Raj Patti, PNA.

24. Shri Ramanlal K. Desai,
At & P.O. Acochhari
Tal. Umargaon,
Distt. Valsad,
Gujarat,
Pin-396105.

25. Shri K. P. Naidu,
H. No. 43/3, Rt. Vijayanagar Colony,
Hyderabad-500457.

26. Shri B. K. Biswal,
Chairman, Utkal Gomangal Samiti,
Cuttack (Orissa).

27. Dr. Srinath Tarnia.
Ex-Director, Animal Husbandry Deptt.,
C/o Utkal Gomangal Samiti,
Cuttack (Orissa).

28. Shri Devindera Nath Sharma,
At Post Niala,
Kendrapara, Orissa.

29. Ms. Sandhya Mahapatra,
MB-61, Gada Gopinath Prasad,
Reshulgarh,
Bhubaneswar-10.

30. Shri Koduru Nageswara Rao,
Andhra Bank Colony, Malapet,
Hyderabad-500036.

Member-Secretary

31. Joint Commissioner (LP),
Deptt. of Animal Husbandry & Dairying,
New Delhi.

The functions of this Advisory Council will be as under :—

(i) To review from time to time the schemes relating to the preservation, development, breeding, feeding and marketing of cattle.

(ii) to advise the Central and State Governments on any of the above matters.

(iii) to review and coordinate the activities of the various official and non-official institutions such as State councils of Gosamvardhana, Federation of Gaushalas and pinjrapoles on matters relating to the development of Cattle Wealth particularly, development of gaushalas on proper lines.

(iv) to undertake promotional activities for the development of cattle, especially where cooperation of the non-official institutions is required; and

(v) to undertake any other functions as required by the Government of India for the development of cattle wealth in any area of the country.

The Council will meet periodically at such time and place as may be decided by the Chairman.

ORDER

ORDERED that a copy of Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and the Departments of Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat and other concerned organisations.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

BABU JACOB
Joint Secy.

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 1st August 1995

No. 26-12(2) 95-FY(S).—In partial modification of the Ministry of Agriculture (Deptt. of Agri. & Cooperation) Resolution No. 26012(I-90/FY(E) dated the 3rd Sept., 1993, the President is pleased to nominate the following as Members of the Central Board of Fisheries with effect from the date of issue of this Notification for three years or until they cease to be Members of Parliament or until further orders, whichever is earlier —

1. Shri Sudhir Sawant, Member of Lok Sabha.

2. Shri E. Balanandan, Member of Rajya Sabha.

DEVENDAR NATH
Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 7th July 1995

Subject :—Advisory Committee in the Central Institute of Indian Languages, Mysore (CIIL)—Setting up of.

In partial modification of the Notification No. F. 8-6/88-D. IV(L), dated 4th August, 1993 published in the Gazette of India regarding the setting up of an Advisory Committee to advise and assist the Central Institute of Indian Languages, Mysore in formulating its programmes and projects, the Government of India hereby nominate Prof. Yogendra Vyas, Department of Linguistics, School of Languages, Gujarat University Ahmedabad, as one of the members for the remaining period of tenure of the Committee constituted under the Notification referred to above, in place of Dr. Attar Singh, Punjab University Chandigarh, expired. Other terms and conditions will remain unchanged.

ORDER

ORDERED that a copy of this Notification be communicated to the Director, Central Institute of Indian Languages, Manasagangotri, Mysore, All State Government and Union Territory Administrations, Prime Minister Office, New Delhi, Ministry of Parliamentary Affairs, Parliament House, New Delhi, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat and All Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Notification be published in the Gazette of India for general information. Printed copy may be sent to the Ministry.

J. L. SEHGAL
Deputy Secretary (Languages)

New Delhi-110 001, the 30th August 1995

RESOLUTION

No. F. 13-9/94-PN-IV.—The National Policy on Education, 1986, as updated in 1992, while laying down the goal of ensuring free and compulsory education of satisfactory quality to all children upto the age of 14 years by the turn of the century, had envisaged setting up of a national mission for achievement of this goal. The modalities of operationalising the mission were further discussed with States during Regional Conference of State Education Secretaries in 1993 and 1994.

2. Further, the National Policy on Education (NPE) 1986 and its Programme of Action (POA) 1992, lay down decentralized planning as the main strategy for universalising elementary education. The District Primary Education Programme has been developed to operationalise this strategy. The programme takes a holistic view of primary education development and seeks to operationalise the strategy for UEE through district specific planning and disaggregated target setting. The programme lays great emphasis on participatory processes for planning and management, has a marked gender focus and seeks to enhance school effectiveness through inputs in teachers training and decentralised management. The programme emphasises on capacity building at all levels, be it national, state or local, and seeks evolve strategies which are replicable and sustainable. The Programme has been approved as a centrally sponsored scheme of the Government of India for Primary Education Development.

3. The objectives of the programme are :

(i) to reduce differences in enrolment, dropout and learning achievement among gender and social groups to less than five per cent.

(ii) to reduce overall primary dropout rates for all students to less than 10 per cent.

(iii) to raise average achievement levels by at least 25 per cent over measured baseline levels and ensuring achievement of basic literacy and numeracy competencies and a minimum of 40 per cent achievement levels in other competencies, by all primary school children.

(iv) to provide, according to national norms, access for all children, to primary education classes (I—V) i.e. primary schooling wherever possible, or its equivalent non-formal education.

The programme would also strengthen the capacity of national, state and district level institutions and organisations for the planning, management and evaluation of primary education.

4. The Programme would be implemented in a mission mode through registered state level autonomous societies in the DPEP States.

5. The Government of India hereby set up a National Elementary Education Mission (NEEM) in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education). NEEM will be an independent and autonomous unit of the Ministry of H. R. D. in the Department of Education vested with full executive and financial powers in its sphere of work.

6. NEEM shall have a General Council, a Project Board and such other bodies and task forces as determined and set up from time to time. The General Council will comprise of the following :

1. Union Minister for HRD—Chairperson (Ex-officio).

2. Minister of State for Education and Culture/Dy. Minister for Education and Culture.

3. Member (Education), Planning Commission.

4—13. Ministers of Education dealing with Primary Education drawn from 2 States in each of the 5 zones, namely, North-East, North, South, East and West. Nominations to be made by rotation of which one would be from a DPEP participating State.

14—16 3 Members of Parliament (2 from Lok Sabha and 1 from Rajya Sabha) to be nominated in consultation with the Department of Parliamentary Affairs.

17—21 5 persons from amongst Educationists and media Experts.

22—26 5 persons representing voluntary agencies of which atleast 2 would be women engaged in women development activities.

27. Secretary, Department of Education.

28. Secretary, Women and Child Development.

29. Secretary, Ministry of Welfare.

30. Secretary, Department of Expenditure.

31. Secretary, Information and Broadcasting.

32. Chief National Resource Group, Mahila Samakhya.

33-34 Two persons who have distinguished themselves in the area of education for SC/ST and physically handicapped, one person from each category.

35. Joint Secretary (DPEP), Member Secretary.

7. Nominations to Governing Council will be made, with exception of Ex-officio members, by Govt. of India. Chairperson of the Council may invite to the meetings of the Council as special invities such persons as he may deem necessary. The nominated persons will hold office for a term of 2 years and would be eligible for renomination. The Council will meet annually.

8. The General Council will provide policy guidelines for the planning and implementation of all measures needed to universalisation of elementary education and to review the progress of these measures.

9. The General Council will be assisted by the DPEP Project Board that will be an empowered body, comprising of the following.

1. Secretary (Education)—Chairperson.

2. Adviser (Education), Planning Commission.

3—6. Union Secretaries or their representatives not below the rank of Joint Secretary in the Department of W&CD, Ministry of Welfare and Department of Expenditure, and Ministry of Information and Broadcasting.

7. Joint Secretary & Financial Advisor (HRD).

8. Dirtctor, NCERT.

9. Director, NIEPA.

10-11. 2 Members of the General Council who are not Govt. officials, from amongst the categories of educationists, Media-experts, educationist for women, SC/ST and Physically handicapped.

12. Joint Secretary (DPEP), Member-Secretary.

10. Nominations to the Board will be made, with exception of Ex-officio members, by Govt. of India. Chair person of the Board may invite to the meetings of the Board as special invities such persons as he may deem necessary. The nominated persons will hold office for a term of 2 years and would be eligible for renomination.

11. Powers of the Board. With a view of expediting sanctions and approvals, the Board will exercise in rtlation to DPEP all financial and administrative powers which the Department of Education can exercise. Besides, it would also exercise those powers that it can normally exercise with the approval of Department of Expenditure, Ministry of Finance. No separate reference to Department of Expenditure, Ministry of Finance would be required as its representative is on this Board.

12. Functions of the Board : The functions of the Board would be :

1. Consider and approve National Component plan received from DPEP Bureau.

2. Consider and approve annual workplans received from the States.

3. Approve annual budget of DPEP.

4. Approval of reappropriation of funds allocated to programme component.

5. Approval of norms for programme components and activities which emerge over the course of implementation.

6. Review and monitoring of the progress of DPEP;

7. Promote convergence of services with relevant departments.

8. Provide guidance to DPEP Bureau.

9. Approve release of funds as per the approved annual plans.

10. Recommend to General Council, policy issues emerging from programme implementation.

13. The Board will meet quarterly or more frequently as may be required by the chairperson of the Board. The Project Board will be assisted and serviced by DPEP Bureau.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general informaion.

Dr. R. V. VAIDYANATHA AYYAR
Jt. Secy.

(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 22nd June 1995

RESOLUTION

No. F. 4-4/89-CH. 1.—In partial modification of this Department's Resolution of even number dated 18th January, 1993, the Central Government has nominated Dr. Vidya Niwas Mishra, vice Shri D. K. Bhattacharaya as member of Allahabad Museum Society, Executive Committee and Finance Committee under Rule 4, 23, 39 respectively of the Rules and Regulation of Allahabad Museum Society i.e. the date upto which Sh. Bhattacharya in whose place Dr. Mishra is appointed would have held the Office.

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India to all the State Goverurments and Union Terriories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

DHARAM PAL
Under Secy.

The 29th August 1995

RESOLUTION

No. 2-8/95-Hind.—In partial modification of this Department's Resolution No. 2-2/92-Hindi, dated 4th August, 1993, as amended, the following litterateur is nominated as non-official member of Hindi Salahkar Samiti of the Deptt. of Culture for the remaining period in place of Late Shri Shani :—

Dr. Doodhnath Singh,
3-C, Kesels, Road,
Allahabad (U.P.).

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to all the members of the Committee, all State Government and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President's Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Comptroller and Auditor-General of India and all the Ministries/Department of the Government of India.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

ASHOK VAJPEYI
Jt. Secy.

DEPARTMENT OF TOURISM

New Delhi-110001, the 21st June 1995

RESOLUTION

No. E. 11017/6/95-Hindi.—In supersession of this Department's Resolution of even number dated 8-6-1989, Government of India, Department of Tourism have introduced an Award Scheme to encourage writers for writing Original Books in Hindi on the subjects relating to tourism. The main features of the scheme are as follows :—

1. *Name of the Scheme*—This Scheme will be called "Incentive Scheme on writing original books in Hindi on the subjects relating to tourism".

2. *Name of the Award*—'Rahul Sankrityayan Paryatan Puraskar' on writing Original Books in Hindi on the subjects relating to tourism.

3. *Objective*—The objective of the scheme is to encourage writing original books in Hindi on subjects relating to tourism.

4. *Nature of the Award*—During every calendar year first Cash Award of Rs. 15,000/- Second cash Award of Rs. 10,000/- and third cash award of Rs. 7,500/ will be given on writing original books in Hindi on any subject relating to tourism.

5. *Awarding Department*—Department of Tourism, Government of India, New Delhi.

6. *Eligibility for Award*

(1) All Indian writers may participate in this Award Scheme.

(2) Published Book or manuscript submitted for consideration for award under the scheme should be the original copy of author and it should not violate any other person's copywrite.

(3) Only such books/manuscripts would be considered as are written three years before the year of award. During this calendar year such books/manuscripts would be considered as are written during the period starting from 1st January, 1992 to 31st Dec., 1994. The published books/manuscripts of high standard written on the subject in Hindi would only be considered for the Award.

(4) No writer shall be given more than one award during a financial year. If a book/manuscript selected for award is written by more that one author, the amount of award shall be equally distributed amongst co-authors. The author shall send alongwith the prescribed entry form 5 copies of the Book/Manuscript for evaluation.

(5) Evaluation Committee as constituted by the Department of Tourism (as per para 7) for distribution of Awards under this Scheme shall consider books/manuscripts submitted to it during the financial year. Any writer may submit more than one book/manuscript for award but no writer shall be eligible for getting more than one award in a financial year.

(6) Every book/manuscript submitted before Evaluation Committee for consideration must be accompanied with an entry form duly filled in and signed by the writers and shall be submitted to this Department by 31st October every year.

(7) Applications will be invited from writers by this Department for giving away the above awards through notice in leading newspapers of English and Hindi. This Department can also submit any suitable books for consideration on its own.

(8) If no book/manuscript is found to be suitable for award(s) the Department may withheld any award/awards.

(9) Awards will be distributed in any specially organised function or on any other suitable occasion.

(10) A writer once awarded will not be eligible for participating in this award scheme for the next two years.

(11) The books written and published in pursuance of a contract entered into with any institution or organisation receiving assistance from Central Government or any State Government or written under any scheme shall not be eligible for this award.

(12) Any such book and manuscript shall not be accepted for consideration if it contains less than 200 and 250 pages respectively. Only those manuscripts shall be accepted which are neatly typed.

7. *Evaluation Committee*

(1) There shall be an Evaluation Committee for deciding the awards and for selection of best books/manuscripts. The composition of the Evaluation Committee shall be as under :

(i) Director General of Tourism	Chairman
(ii) Joint Secretary (Tourism)	Member
(iii) Shri Dharam Pal Sharma Non-official Member of Hindi Salahkar Samiti	Member
(iv) Shri R. S. Gupta Non-official Member of Hindi Salahkar Samiti	Member
(v) Deputy Director (O.L.)	Co-ordinator

(2) The ex-officio members of above Evaluation Committee in special circumstances can nominate any suiatable officer as their representative in the Evaluation Committee.

(3) The above Evaluation Committee may associate one or more experts on subjects for assistance.

(4) If any member of the Evaluation Committee is also a competitor forward under the above scheme, he shall not serve as member of the Evaluation Committee during that particular year in which his book is also being evaluated along with other books.

(5) The term of the Committee will be 3 years viz. 1995, 1996 and 1997.

(6) The term of non-official members of Evaluation Committee shall be three years. In case the member relinquishes the post or retires or dies or due to any other cause if any vacancy arises in the Evaluation Committee, the same shall be filled up by any other non-official Member of Hindi Salahkar Samiti.

(7) Non-official members of the Evaluation Committee shall be entitled to get travel and daily allowance as per rules of the Government of India issued and made applicable at that time.

(8) The decision of the Evaluation Committee shall be final and acceptable from all the angles and no appeal against it would be entertained by any authority.

(9) The writer shall be awarded only when majority of the members of Evaluation Committee recommend his name(s).

(10) Awards shall be announced after the recommendations of the Evaluation Committee are accepted by the Director General (Tourism).

8. Awarded writers shall be informed in writing about the announcement of awards and it shall be published in newspapers.

9. If any manuscript is considered eligible for any Award, half amount of the award shall be given to the writer and the remaining amount of the award will be sanctioned to him only on production of five copies of the published book to this Department.

10. Books/manuscripts once considered shall not be eligible for re-entry in this scheme.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments/Union Territories and all the Ministries/Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ASHOK PAHWA,
Director General of Tourism &
ex-officio Additional Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 26th July 1995

RESOLUTION

No. 44/2/95-E.I.—The Central Water Commission, an attached office of this Ministry, was set up in 1945 under the name of Central Waterways, Irrigation and Navigation Commission, as an apex technical organisation in the country in the field of water resources development. Since then, the Commission has undergone several changes including its nomenclature. One of the major responsibilities of the Central Water Commission is to initiate and coordinate, in consultation with the State Governments concerned, schemes for assessment, conservation. control and utilisation of Water Resources for purposes of irrigation, flood management, navigation and water power generation throughout the country. It also undertakes the investigation, design construction and execution of any such schemes on required basis. The project reports prepared by the State Governments are examined in the Central Water Commission from techno-economic angle. Technical guidance and suggestions are also offered to the States from time to time.

2. With a view to review the Central Water Commission's roles, goals, functions and responsibilities in terms of achievements and developments over the past several decades and to suggest changes in view of the future challenges and needs, the Government of India have decided to set up a Committee to review the functioning and suggest the restructuring of the Central Water Commission to ensure that it gets properly equipped to fulfil its objectives.

3. The Committee shall consist of the following :

Chairman

(1) Minister of State for Water Resources

Members

(2) Secretary, Ministry of Water Resouces

(3) Additional Secretary, Ministry of Water Resources

(4) Chairman, Central Water Commission

(5) to (9) Secretaries of Water Resources/Irrigation Departments of Andhra Pradesh, Maharashtra. Bihar, Punjab and Madhya Pradesh.

(10) to (12) Secretaries of Water Resources/Irrigation Departments of Assam/Meghalaya/Manipur

(13) Representative of I.I.T., Delhi

(14) Adviser (I & CAD), Planning Commission

(15) Financial Adviser, Ministry of Water Resources

(16) Shri R. B. Shah, former Chairman, Central Water Commission.

(17) Shri Ramaswamy R. Iyer, former Secretary, Ministry of Water Resources and Faculty Member, Centre for Policy Research, New Delhi.

Member-Secretary

18) Chief Engineer (HRM), Central Water Commission.

Special Invitee

(19) Mr. J P. Baudelaire, Principal Irrigation Engineer, World Bank, New Delhi.

The Committee may co-opt any other member during its deliberations, if considered necessary.

4. The terms of reference of the Committee would be as follows :—

(a) To review the objectives and functions of the Central Water Commission as at present.

(b) To review the role of Central Water Commission in tht Water Resources Development both in the Central and Stat Sector in future.

(c) To identify areas where the role of Central Water Commission could be modified in the context of overall water resources development.

(d) To review the above in the light of recent cadre review of Central Water Engineering (Group A) Service and recommend proposal for restructuring wherever needed and guidelines for implemntation.

(e) To recommend measures to ensure intensive coordination with Central Ground Water Board for full development of water resources.

(f) To recommend modern management system for internal working with necessary equipments.

(g) To look at any other issues incidental to the subject matter.

5. The Committee shall submit its report within a period of two months of its constitution.

6. The Cenral Water Commission will provide all the logistic support and such other assistance as may be necessary.

ORDER

Ordered that the above Resolution may be published in the Gazette of India for general information.

RAJENDRA MISHRA
Deputy Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1995
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published in the Controller of Publications Delhi, 1995